

अनुदान संख्या 51 - मंत्रिमंडल
GRANT No. 51-CABINET

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	14,00	. .	-14,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	215,92,00		
पूरक	Supplementary	72,41,00	288,33,00	266,32,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-22,00,89
				9,03,81
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	3,00,00	2,83,39	-16,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			15,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 14.00 लाख रु. का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।
2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2200.89 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 7241.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.14.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.
2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2200.89 lakhs) constituted 30 percent of the supplementary grant of Rs.7241.00 lakhs obtained in March, 2007 and 8 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2013'	Major Head "2013"			
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers			
मू.	O.	8499.00		
पू.	S.	5050.00	12935.19	12134.33
पु.	R.	-613.81		-800.86

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2055' पुलिस	Major Head "2055" Police			
मू.	O.	12927.00	14822.00	14326.07
पू.	S.	2191.00		
पु.	R.	-296.00		
(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-			(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-	
(का) मुख्य शीर्ष '2013' -			(A) Major Head "2013" -	
(क) "मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन"-			(a) "Salary of Ministers and Deputy Ministers" -	
(i) "मंत्रिमंडल सदस्य"- 68.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 76.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 6.58 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और			(i) "Cabinet Ministers" - the original provision of Rs.68.00 lakhs was augmented to Rs.76.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.58 lakhs; and	
(ii) "राज्य मंत्री"- 82.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 96.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 11.40 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।			(ii) "State Ministers" - the original provision of Rs.82.00 lakhs was augmented to Rs.96.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.40 lakhs.	
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम चिकित्सा दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।			Savings under the above two heads were due to receipt of less medical claims.	
(ख) "सत्कार और अन्य भत्ते"-			(b) "Sumptuary and Other Allowances" -	
(i) "मंत्रिमंडल सदस्य"- 91.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 71.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 162.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 20.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और			(i) "Cabinet Ministers" - the original provision of Rs.91.00 lakhs was augmented to Rs.162.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.71.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.20.50 lakhs; and	

(ii) “राज्य मंत्री”- 119.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 94.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 213.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 32.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मंत्रिपरिषद से त्यागपत्रा दिए जाने और उसमें शामिल किए जाने के कारण हुईं।

(ग) “मंत्रिमंडल सचिवालय - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय”- 591.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 135.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 726.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को भरे न जाने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 62.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घ) “दौरा व्यय”-

(i) “मंत्रिमंडल सदस्य”- 3768.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3315.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7083.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो मंत्रिमंडल सदस्यों द्वारा कम दौरे किए जाने और प्रधान मंत्री द्वारा किए गए विदेश दौरों के संबंध में एयर इंडिया द्वारा बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 238.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) “राज्य मंत्री”- 750.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1413.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2163.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विदेश मंत्रालय से कम दावे प्राप्त होने और राज्य मंत्रियों द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण 773.95 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ‘2055’ - “विशेष सुरक्षा समूह - स्थापना” - 12927.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को

(ii) “State Ministers” - the original provision of Rs.119.00 lakhs was augmented to Rs.213.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.94.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.32.24 lakhs.

Savings under the above two heads were due to resignation from and induction into the Council of Ministers.

(c) “Cabinet Secretariat- National Security Council Secretariat” - the original provision of Rs.591.00 lakhs was augmented to Rs.726.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.135.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.62.46 lakhs -due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken by the members of National Security Advisory Board and economy measures.

(d) “Tour Expenses” -

(i) “Cabinet Ministers” - the original provision of Rs.3768.00 lakhs was augmented to Rs.7083.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3315.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.238.42 lakhs -due to less tours undertaken by the Cabinet Ministers and non-finalisation of bills by Air India in respect of the foreign tours undertaken by the Prime Minister.

(ii) “State Ministers” - the original provision of Rs.750.00 lakhs was augmented to Rs.2163.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1413.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.773.95 lakhs -due to receipt of less claims from Ministry of External Affairs and less tours undertaken by the State Ministers.

(B) Major Head “2055” - “Special Protection Group -Establishment” - the original provision

2191.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 15118.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संरक्षितों द्वारा कम दौरे किए जाने, रिक्त पदों को भरे न जाने, ईसीएम जैमर की लागत कम होने, बुलेट-प्रूफ पोशाक, बम निपटान उपस्कर और वीडियो एंडोस्कोपिक प्रणाली की अधिप्राप्ति न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 791.93 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष '2013' - "मंत्रिमंडल सचिवालय - सचिवालय मुख्य" के अंतर्गत 177.30 लाख रु. की बचत (1045.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां, उप शीर्ष प्रधान मंत्री की उच्चस्तरीय समिति, जहां से व्यय पूरा किया गया था, को अंतरित किए जाने, कुछ पदों को समाप्त किए जाने, उच्चस्तरीय समिति को समाप्त किए जाने, अध्यक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी द्वारा सम्मेलन में भाग न लिए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 90.85 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 64 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष '2013' - "मंत्रिमंडल सचिवालय - प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 119.15 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल सचिवालय, जहां उच्चस्तरीय समिति के लिए प्रारंभिक प्रावधान किया गया था, से निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

of Rs.12927.00 lakhs was augmented to Rs.15118.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2191.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.791.93 lakhs -due to less tours undertaken by the protectees, non-filling up of vacant posts, reduction in cost of ECM Jammer, non-procurement of Bullet proof vest, bombs disposal equipment and video Endoscopic System and economy measures.

(II) Under Major Head "2013" - "Cabinet Secretariat - Secretariat Main" -saving of Rs.177.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1045.00 lakhs) was due to transfer of funds to sub-head Prime Minister's High Level Committee from where the expenditure was met, abolition of some posts, winding up of High Level Committee, non-participation in the conference by the Chairperson National Authority CWC and economy measures.

(III) Under one head saving of Rs.90.85 lakhs occurred constituting 64 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under Major head "2013" - "Cabinet Secretariat-Prime Minister's High Level Committee" - excess of Rs.119.15 lakhs (against nil provision) was due to transfer of funds from Cabinet Secretariat where initial provision was made for High Level Committee.